

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0
वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. सम्पत पुत्र पारसमल
जाति-हरिजन, निवासी-राबडियावास
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह
जाति-राजपूत
2. लालचन्द पुत्र सुरजाराम
जाति-बलाई, निवासी-हरोली
तहसील-श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर
3. लीलादेवी पत्नि दुर्गाराम
जाति-हरिजन, निवासी-डिग्गी
मोहल्ला-ब्यावर, जिला-अजमेर
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
5. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:100/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वकील वादी द्वारा प्रति0 संख्या 02 का तलबाना पेश नहीं करने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 09 नियम 5 सीपीसी के तहत् खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/06/2017 को

जारी किया गया।



6

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	-00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	09	-00	मिजान:-	01	-00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।